द्वितीय सदन के रूप में राज्य सभा की भूमिका

मनोज कुमार*

प्रस्तावना

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजशक्ति का सर्वोच्च अंग संसद है। इसे राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु कहा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की नींव देश का संविधान निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत उसकी जनता शासित होती है। जिसमें राज्य की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति तथा दोनों सदन (राज्यसभा एवं लोकसभा) मिलकर संसद बनाती है। संसद के दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इसे द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में वरिष्ठ प्रतिभाशाली, वयोवद्ध अनुभवी सदस्य होने की अधिक सम्भावना रहती है। इसलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। राज्यसभा निरन्तर चलने वाली संस्था है, अर्थात यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किन्तु इसके एक–तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरूआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं।

संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत, जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों को पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैंच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार सदस्यों को सेवानिवृत किया जाए, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया।

राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप राज्यों की परिषद् है। वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्त्व करती है, क्योंकि उसमें समूहन संघ, राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है। राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। संघ के विभिन्न राज्यों को राज्यसभा के बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अधिकतर उसकी आबादी पर निर्भर करती है। अतः जहां राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्य हैं, वहीं मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे– छोटे–छोटे राज्यों का केवल एक–एक प्रतिनिधि है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव और लक्ष्यद्वीप जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की आबादी इतनी कम है कि राज्यसभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उसमें से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित 238 सदस्य होंगे (अनु0 80(1) ।

वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनित होते हैं। संविधान में चौथी अनुसूची में राज्य सभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है।

शब्द संकेत– द्विसनात्मक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एकल संक्रमणीय मत, संघात्मक, पुनरावलोकन, विधेयक, अनुमोदन, ध्यानाकर्षण, मीडिया ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों, विषय से सम्बन्धित पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य द्वितीय सदन के रूप में राज्य सभा की भूमिका का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

*शोधार्थी, नेट / यू–सेट, राजनीति विज्ञान विभाग, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल

द्वितीय सदन की आवश्यकता

ब्रिटिश संसद विश्व की संसदों की जननी है और ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है। यह तथ्य अन्य संसदों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। जिन ऐतिहासिक कारणों से ब्रिटिश द्विसदनीय संसद का विकास हुआ वे आज महत्त्वपूर्ण नहीं है, न ही उनकी कोई प्रासंगिकता है, परन्तु तथ्य यह है, कि आज संसद का द्विसदनीय होना एक आवश्यकता माना जाता है, जिसके कई कारण हैं–

1– संघात्मक राजव्यस्था में द्वितीय सदन संघातरित इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि निचला सदन देश की इकाइयों को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है।

2– द्वितीय सदन में समाज के प्रतिभाशाली, अनुभवी, विद्वान, वरिष्ठ व्यक्तियों को स्थान दिया जा सकता है जो चुनावों की राजनीति के उपर्युक्त नहीं होते और उनसे दूर भागते हैं या चुनाव में असफल रहते हैं।

3– द्वितीय सदन प्रथम सदन के कार्यों का परीक्षण और पुनरावलोकन कर उनमें सुधार कर सकता है। वह प्रथम सदन की उत्तेजना, आवेश और गहराई से विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

4– द्वितीय सदन संसदीय कार्य को बाँट कर प्रथम सदन का कार्यभार हल्का कर सकता है और फिर निम्न सदन में कोई द्वितीय सदन किस सीमा तक इन कार्यों को कर पाता है यह उसके संगठन और उसकी शक्तियों पर निर्भर करता है।

उच्च सदन–

राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। विश्व की एक तिहाई संसदें द्विसदनात्मक हैं। उच्च सदन निम्न सदन पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। लोकसभा अनेक उपायों से सरकार को नियंत्रित व परिसीमित कर सकती है। संसदीय वाद–विवाद, प्रश्नोत्तर, विविध प्रस्ताव इनमें प्रमुख हैं। यद्यपि राज्य सभा मंत्री परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती परन्तु विधेयकों एवं प्रस्तावों पर विचार–विमर्श एवं वाद–विवाद एवं प्रश्नोत्तर के द्वारा राज्य सभा भी मंत्री परिषद् के कार्यों की निगरानी एवं समीक्षा कर सकती है और सरकार को कठिनाइयों में डाल सकती है। यदि राज्य सभा में सरकार का बहुमत नहीं है तो राज्य सभा उसके लिए अनेक प्रकार की अड़चनें एक अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। परन्तु राज्य सभा में किसी प्रस्ताव या विधेयक पर सरकार की पराजय का अर्थ उसका पदत्याग नहीं होता। विधि, निर्माण, वित्त और सरकार पर नियंत्रण ये संसद के परम्परागत कार्य हैं। भारतीय संसद को इनके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी सौंपें गये हैं। जिनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है–

1– संविधान संशोधन
2– कुछ उच्च पदाधिकारियों का निर्वाचन
3– पदच्युति सम्बन्धी
4– अनुमोदन संबंधी
5– न्यायिक व्यवस्था संबंधी

इन कार्यों के सम्पादन में दोनों सदनों के अधिकार समान हैं। अर्थात् राज्य सभा भी लोक सभा के साथ–साथ विषयों में बराबर की भागीदार है। दोनों की सहमति से ही ये महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते हैं। सदन दूसरे सदन में निर्णय को निषिद्ध कर निरस्त कर सकता है। इस विषयों में राज्य सभा की निर्णयकारी शक्ति दृष्टिगोचर होती है। ये राज्य सभा के प्रभावकारी व शक्तिशाली अंग होने के प्रमाण हैं।

सदस्य के लिए अर्हताएँ–: राज्य सभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो।

सदस्य के लिए अनर्हताएँ–: संविधान ने राज्य सभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अनर्हताएँ निर्धारित की हैं–

1. अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए है, तो वह राज्य सभा का सदस्य नहीं बन सकता। संसद ने कानून बना कर ऐसे पदों की सूची जारी कर दी है जिनके धारण करने वाले व्यक्ति राज्य सभा की सदस्यता से वंचित नहीं किए जा सकते।
2. अगर कोई व्यक्ति विकृत मस्तिष्क का हो तथा सक्षम न्यायलय ने ऐसी घोषणा कर दी हो।
3. अगर वह दिवालिया हो जाए।
4. यदि वह भारत का नागरिक न हो अथवा उसने किसी दूसरे राज्य की नागरिकता जानबूझ कर ग्रहण कर ली हो अथवा वह किसी दूसरे राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो।

5. यदि वह संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अनुसार अनर्ह करार दिया गया हो।

संसद के दल–बदल के आधार पर भी सदस्य के अनर्ह होने की व्यवस्था की है।

कार्यकाल

राज्य सभा कभी भंग नहीं होती परन्तु इसके सदस्य का कार्यकाल केवल 6 वर्ष होता है। सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। पूरी राज्य सभा एक साथ निर्वाचित नहीं होती इसमें केवल एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में निर्वाचित किये जाते हैं। 1952 में जो राज्य सभा बनी थी दो वर्ष बाद लॉटरी द्वारा यह तय किया गया था कि इसके कौन से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष बाद और कौन चार वर्ष बाद पदनिवृत होंगे। शेष ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। तब से बराबर एक तिहाई सदस्यों का प्रति दो वर्ष उपरान्त निर्वाचन होता गया है और प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष का कार्यकाल मिलता है।

पदाधिकारी–

राज्य सभा अपना अध्यक्ष स्वयं निर्वाचित नहीं करता। भारत का उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य सभा एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का सम्पादन करता है। अध्यक्ष के वही कार्य और कर्त्तव्य हैं जो लोक सभा में स्पीकर के हैं।

संघीय सदन–

भारतीय संविधान ने देश के लिए शासन की व्यवस्था की है। लोक सभा निम्न सदन है और वह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। वह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के द्वारा निर्वाचित होता है। राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाएँ जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होती हैं और उन्हीं के निर्वाचित सदस्य राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल लोक सभा के सदस्यों के कार्यकाल से लम्बा होता है और राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल का राज्य सभा में बहुमत नहीं होता है। विगत् में ऐसे अवसर आये हैं जब सत्तारूढ़ सरकार का राज्य सभा में बहुमत नहीं था। विधायी प्रक्रिया में राज्य सभा ने प्रतिबन्धों और संतुलनों द्वारा अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। सरकार को बनाने या बिगाड़ने में राज्य का कोई हाथ नहीं रहता लेकिन राज्य सभा सरकार के ऊपर नियंत्रण रख सकती है और राज्य सभा का यह कार्य उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब सत्तारूढ़ दल का उच्च सदन में बहुमत न रहे। धन विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा और राज्य सभा के बीच कभी गतिरोध पैदा नहीं हो सकता। वित्तीय मामलों में लोक सभा की स्थिति राज्य सभा की स्थिति से स्पष्टतः ऊपर है।

अतः यदि राज्य सभा में सरकार का बहुमत नहीं है तो राज्य सभा उसके लिए अनेक प्रकार की अड़चनें उत्पन्न कर सकती है। परन्तु राज्य सभा में किसी प्रस्ताव या विधेयक पर सरकार की पराजय का अर्थ उसका पदत्याग नहीं होता।

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अलग–अलग दोनों सदनों के बहुमत से पास किए जाते हैं। अगर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद हो जाए तो उसके समाधान का कोई उपाय नहीं है। यदि साधारण कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों के संयुक्त सत्र की व्यवस्था की गई है। संयुक्त सत्र में विधेयक को बहुमत से पास माना जाता है।

विधायी शक्तियों का विवरण–

भारतीय संविधान में राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। राज्य का विधान मंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। संसद को समूचे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है। संविधान की सातवीं अनुसूची में विभिन्न विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है– संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में संसद को सभी विषयों पर कानून बनाने का एकाधिकार है। राज्य सूची में राज्य का विधान मंडल प्रगणित विषयों पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधान मंडल और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। जिन विषयों का किसी में उल्लेख नही है, उसमें संसद कानून बना सकती है।

आपातकाल के समय या युद्ध या वाह्य आक्रमण के समय भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाये या राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी हो, तो संसद को भारत के समूचे प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में प्रगणित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी तरह राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल हो जाये तो उस राज्य विधान मंडल की सारी शक्तियाँ संसद के पास आ जाती हैं और संसद उसका प्रयोग करने लगती है।

संविधान ने सांविधानिक संशोधन की प्रक्रिया को आरम्भ करने का अधिकार अकेले संसद को दिया है। संविधान के अधीन राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य सभा के मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से यह संकल्प पास कर सकती है कि संसद को राष्ट्रहित को देखते हुए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए।

ऐसा संकल्प पास होने पर संसद समूचे देश या उसके किसी भाग के लिए उल्लेखित विषय पर कानून बना सकती है। इस तरह का संकल्प एक साल तक प्रभावी रहता है पर उसकी अवधि नया संकल्प पास करके एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। कुछ मामलों में राज्य सभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की उद्घोषणा ऐसे समय पर हो, जब लोक सभा का विघटन हो गया हो या अनुमोदन के लिए निर्धारित समय के भीतर लोक सभा का विघटन हो जाए, तब राज्य सभा द्वारा अनुमोदन का संकल्प पारित होने पर उद्घोषणा प्रभावी रह सकती है। कुछ मामलो में पहल करने का अधिकार राज्य सभा को दिया गया है–

1. उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, परन्तु पहल करने का अधिकार राज्य सभा को दिया गया है। राज्य सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव का अनुमोदन लोक सभा द्वारा होने पर उपराष्ट्रपति अपदस्थ हो जाता है।
2. नयी अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थापन हेतु पहल करने का अधिकार राज्य सभा को है। यदि राज्य सभा में दो–तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित होता है कि राष्ट्रीय हित में कोई एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा संस्थापित करना आवश्यक है तो संसद ऐसा कर सकती है।
3. आपातकाल की उद्घोषणाओं के लिए संसद के दोनों सदनों का निर्धारित समय में अनुमोदन आवश्यक है। परन्तु यदि उद्घोषणा के समय लोक सभा भंग है या उद्घोषणा के अनुमोदन करने से पूर्व भंग हो जाती है तो राज्य सभा द्वारा अनुमोदन पर्याप्त है बशर्ते कि नवगठित लोक सभा उसे निर्धारित समय में स्वीकृति दे दे।
4. अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय की बाबत संघ अस्थायी विधान बन सकता है। इस विषय पर संविधान ने राज्य सभा को विशेष भूमिका प्रदान की है। संसद राज्य की विधायी शक्ति तभी ग्रहण कर सकती है जब तक राज्य सभा के मत देने वाले कम से कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषणा करना कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए उस विषय के संबंध में विधि बनाए।
5. अनुच्छेद 312 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है।

राज्य सभा की शक्तियों के इस अध्ययन से सह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सभा न केवल द्वितीय सदन वरन् द्वितीय महत्त्व का सदन ही है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य सभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका की प्रदान की गयी है, प्रतिद्वन्द्वी सदन को नहीं। लोक सभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी उसकी स्थिति और उसकी शक्तियों का महत्त्व है।

विधायी कार्य–

द्वितीय सदन के रूप में राज्य सभा कि भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। राज्य सभा की अनेक बैठकें हुईं जिनमें सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए या उन पर विचार हुआ। राज्य सभा में हजारों विधेयक पास किए। सरकारी विधेयकों के पुरःस्थापन में राज्य सभा की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। राज्य सभा में जो विधेयक पुरःस्थापित किए गए उनमें से कुछ दूरगामी महत्त्व के थे। सामाजिक क्षेत्र के मुख्य विधेयक थे–**हिन्दू विधान संबंधी कानून, भ्रष्टाचार विरोध विधेयक, गन्दी बस्तियों के सुधार और सफाई संबंधी विधेयक, बच्चों की स्थिति सुधारने संबंधी विधेयक** आदि। राज्य सभा में श्रमिकों के कल्याण के बारे में जो विधेयक, पुरःस्थापित किए गए उनमें से मुख्य थे– बीडी और सिगार मजदूर (रोजगार एवं दशाऐं) विधेयक, बंधुआ मजदूर प्रथा (उत्सादन) विधेयक और इमारतें बनाने तथा अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूर (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) विधेयक एवं कुछ ऐसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी कुछ उल्लेखनीय विधेयक थे–डॉक्टरी आधार पर गर्भावस्था का अंत, कापी राइट विधेयक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय तथा इग्नू की स्थापना करने वाले विधेयक और दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण विधेयक जो राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया एकाधिकार और निरोधक व्यापार प्रथा विधेयक था।

भारतीय संसद के इतिहास में राज्य सभा ने चार अवसरों पर अपनी संविधान निर्माण संबंधी सत्ता का प्रयोग किया–

1. संविधान (24वाँ संशोधन) विधेयक,1970 पूर्व देशी रजवाड़ों के शासकों के प्रिवी पर्सों को समाप्त करना चाहता था। लोक सभा ने इस विधेयक को भारी बहुमत से पास कर दिया था। लेकिन राज्य सभा ने इस विधेयक को एक मत से अस्वीकार कर दिया।

2. संविधान (45वाँ संशोधन) विधेयक,1978 लोक सभा द्वारा पास हो गया था लेकिन राज्य सभा ने उसके पाँच महत्त्वपूर्ण खण्डों को अस्वीकार कर दिया। लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत खंडों को विधेयक से निकाल दिया। इसके बाद वह विधेयक संविधान(44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 बन गया। इस अधिनियम ने सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को दृढ़ आधार प्रदान किया। इस अधिनियम ने यह भी व्यवस्था की कि भविष्य में संविधान के आपात–उपबंधों का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। अधिनियम के अन्तर्गत मीडिया को यह अधिकार मिल गया कि वह संसद तथा राज्य विधान मंडलों के कार्य वृत्तों की स्वतंत्रता पूर्वक रिपोर्ट कर सकता है। आपातकाल में बनाए गए कानूनों द्वारा संविधान में जो विकृतियाँ आ गई थीं, इस संशोधनकारी अधिनियम ने उन विकृतियों को दूर करने की कोशिश की।

विचारात्मक कार्य–

राज्य सभा में प्रश्नों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण मामलें उठाए जाते हैं। सदस्य प्रश्न पूछकर सरकार के विभिन्न विभागों से महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त करते हैं। यदि सरकार से कुछ गलतियाँ हुई हों तो उन्हें उजागर किया जाता है। सरकार इन गलतियों की छानबीन करने व उन्हें सुधारने के लिए बाध्य की जाती है। प्रश्न काल में सदस्य सरकार से अनेक आश्वासन प्राप्त करते हैं और उसे नीति विषयक वक्तव्य देने के लिए बाध्य करते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अन्य लोकप्रिय पद्धति है। राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदस्य ध्यानाकर्षण पद्धति का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रत्येक दल से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पद्धति द्वारा राजनीतिक दल विचाराधीन विषय पर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। अनेक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा सांविधानिक प्रश्न उठाए जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्य उपर्युक्त साधनों के अलावा 'अल्पकालीन चर्चा' आधे घण्टे की चर्चा और प्रस्तावों आदि के द्वारा सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों को उठा सकते हैं। सरकार के कार्यों पर सर्तक दृष्टि रख सकते हैं तथा जनता की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष–

द्वितीय सदनों को प्रायः सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। यह एक सामान्य धारणा है कि द्वितीय सदन निरर्थक हैं क्योंकि यदि वे पहले सदन से सहमत रहते हैं तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं और यदि पहले का विरोध करता है, तो हानिकारक है।

ब्रिटेन के लॉर्ड सभा को प्रायः द्वितीय सदन का प्रतिमान माना जाता है। यह सदन पूर्णतया सामन्तशाही और शक्तिहीन है। द्वितीय सदन की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि संगठन और अधिकारों में वह लॉर्ड सदन से भिन्न और श्रेष्ठ है और वह न निरर्थक है न हानिकारक। इस प्रकार राज्य सभा न तो ब्रिटेन के लॉर्ड सदन की भांति पूर्णतया शक्तिहीन है न अमेरिकी सीनेट के समान शक्तिशाली।

नेहरू ने दोनों सदनों की समानता पर बल दिया और कहा, दोनों सदनों में कोई एक, अकेला संसद नहीं बन सकता। दोनों सदन मिलकर भारत की संसद बनते हैं। संविधान दोनों को समान समझता है, केवल कुछ वित्तीय मामलों को छोड़कर जो कि लोक सभा के अनन्य क्षेत्राधिकार में हैं।

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त दलीय राजनीतिक राज्य सभा को विरोध पक्ष का गढ़ बना सकती है। इसका कारण यह है कि लोक सभा और राज्य सभा के चुनाव अलग–अलग समय पर होते हैं और अलग–अलग निर्वाचकों द्वारा होते हैं। यदि कोई नया दल लोग सभा चुनावों में बहुमत प्राप्त करता है तो सम्भावना यही है कि राज्य सभा में उसका बहुमत नहीं होगा। राज्य सभा भले ही सरकार न हटा सकती हो परन्तु अपनी समीक्षा, आलोचना और असहमति के अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सरकार पर घातक प्रहार कर सकती है। अतः भारत में राज्य सभा राजनीतिक व्यवस्था में एक सन्तुलन चक्र का कार्य करने की क्षमता रखती है।

संदर्भ सूची

1. कश्यप सुभाष / गुप्त विश्व प्रकाश, संसद का इतिहास (भाग–2), राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2005

2. जैन डॉ0 हरिमोहन, भारतीय शासन और राजनीति, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, संस्करण–2001
3. बसु डॉ0 दुर्गा दास, भारत का संविधान– एक परिचय, वाधवा प्रकाशन, नागपुर, आठवाँ संस्करण–2002
4. कश्यप सुभाष, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, संस्करण–2013
5. कोठारी रजनी, भारत में राजनीति, ओरिएण्टल लॉगमैन लिमिटेड, दिल्ली
6. राधामोहन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मोहन प्रकाशन, नैनीताल, 1978–79